"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुरू के नगव भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक जी.2-22-क्रतीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छालीसगढ/वुर्ग/09/2012-2015.''

छल्लीसगढ राजपन

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 397]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 जुलाई 2014 — शावण 1, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-22/2014/18. — छत्तीसगढ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (ख) के उपबंधों के अधीन राज्य में पूर्व से गठित निम्नानुसार नगर पंचायतों को, उनके जिला मुख्यालय होने के कारण, उन्त अधिनियम की धारा 5 (1) (क) में प्रवस शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उन्हें नगरपालिका परिषद् के रूप में घोषित करता है :-

第.	नगर पंचायत का वास (2)	जिला (3)	
L	बलरामपुर	बलरामपुर	Y
2.	गरियाजंद	गरियाबंद	
3.	<u>देतेवाइ।</u>	दंतेबाड़ा	
4.	बीजापुर	बीजापुर ।	
5.	चुकमा -	सुकमा	

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आवेशानुसार, एथ. एथ. खेंख, उप-सचिव

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014

क्रमांक एक 1-22/2014/18.— भारत के संविधान के अनुव्होद 348 के खण्ड (1) के अनुसरण में इस विधान की अधिसूचना क्रमांक एक 1-72/2014/18 दिनांक 22-07-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्हारा प्रकाशित किया जाता है

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशनुसार, एक. क्षिज, उप-सर्चिक

Raipur, the 22nd July 2014

NOTIFICATION

No. F 1-22/2014/18.*— In exercise of the powers conferred by Section 5(1)(A) of the Chhattisgarli Municipality Act, 1961 (No. 37 of 1961), State Government, hereby declare the following District Headquarter Nagar Panchayats as Municipal Council under the provision of Section 5 (1) (B) of Chhattisgarli Municipality Act, 1961.

	S. No.	Name of Nagar Panchayat		District	
_	(1)	(2)		(3)	
8	Ĩ.	Balrampur	**	Balrampur	
	2.	Gariaband		Gariaband	
	3,,,	Dantewada		Dantewada	
	4.	Bijapur		Bijapur	
	5.	Sukma		Sulona	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-22/2014/18. छत्तीसगढ़ गगरपातिका अधिनियम, 1961 (क. 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (ख) के उपवधीं के अधीन राज्य में पूर्न से गठित विम्नानुसार नगर पृंचायतों की, उनके लघुत्तर नगरीय दोत्र में परिवर्तन के कारण, उन्त अधिनियम की धारा 5 (1)(क) में प्रवत्त अधिन्यम की धारा 5 (1)(क) में प्रवत्त अधिन्यम के कारण के प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतदहारा उन्हें नगरपालिका परिवद के रूप में धीचित करता है .-

₽°.	नगर पंचायत का नाम	जिला
(1)	(2)	(3)
1	तिकरा .	निलासपुर
2.	रतन्पुर	चिलासप्र



1)	(2)	(3)
3.	कटघोरा	कोरला
a. ·	नारायण <mark>पु</mark> र	नारायणपुर
5.	अहिवारा	दु र्ग
6.	सराथपाली	महासम्द
Ž.	तखतपुर	बितासपुर
)_	बागबाहर।	महासमुद
9.	आरंग	राथपुर

छन्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आवेशानुसार, स्म. एम. भिंड, उप-सचिव

रायपुर, विनांक 22 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 1-22/2014/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-22/2014/18 दिनांक 22-07-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा अवेशानुसार एम. एम. मिंज, उप-सचिव

Raipur, the 22nd July 2014

NOTIFICATION

No. F 1-22/2014/18. In exercise of the powers conferred by Section 5(1)(A) of the Chhattisgarh Municipality Act, 1961 (No. 37 of 1961), State Government, hereby declare the following Nagar Panchayats as Municipal Council under the provision of Section 5 (1) (B) of Chhattisgarh Municipality Act, 1961 due to their extension into wider town area:

S. No.	Name of Nagar Panchayat	District
(1)	(2)	(3)
1	Tifra	Bilaspur
2.	Ratanpur	Bilaspur
3.	Katghora	Korba

*:			7
(1)	(2)		(3)
4.	Narayanpur		Marayanpur
5.	Ahiwara		Durg
6.	Saraipali		Mahasamund
-7	Taldiatpur		Bilaspur
8,	Bagbahara		Mahasamund
9.	Arang		Raipur

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINI, Deputy Secretary.